

आधुनिक भारतीय राजनीति में अहिंसात्मक प्रतिरोध

– डॉ महेन्द्र चौधरी

सह-आचार्य,

इतिहास विभाग

आर. एल. सहरिया राजकीय महाविद्यालय,

कालाडेरा (जयपुर)

राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय शांति, सद्भाव और विकास के लिए महात्मा गाँधी की अहिंसात्मक अवधारणा की विशेष महत्ता है। महात्मा गाँधी अहिंसा को सत्य की साधना का साधन मानते थे। महात्मा गाँधी ने अहिंसा का विश्लेषण कर उसे व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय मामलों में प्रयोग किया। भारतीय राजनीति में अहिंसात्मक प्रतिरोध के सन्दर्भ उदारवादी राजनीति से हर प्रकार से जुड़े हैं। चाहे ये प्रकार गोखले की धारा से प्रोत्साहित हों अथवा महात्मा गाँधी और स्वातन्त्रता के पश्चात् भारतीय राजनीति में डॉ. राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के उदारवादी प्रतिरोध से प्रमाणित हों। भारतीय राजनीति में इन व्यक्तिगत एवं सामूहिक अहिंसात्मक प्रतिरोध के सूत्रधार मूलतः महात्मा गाँधी व महात्मा गाँधी द्वारा निर्देशित व्यक्ति और घटनाएँ हैं।

महात्मा गाँधी का मानना है कि “अहिंसा कोई ऐसी स्थिर या बेकार की वस्तु नहीं है, जैसाकि सामान्यतः कहा जाता है। निश्चित रूप से प्राणी को चोट न पहुँचाना अहिंसा का एक भाग है, लेकिन जहाँ तक अहिंसा का पहचान का संबंध है, उस सन्दर्भ में यह केवल एक अंशमात्र है। अहिंसा के सिद्धान्त का उल्लंघन प्रत्येक बुरे कथन, घृणा या किसी का बुरा चाहने से भी होता है। संसार के लिए आवश्यक चीजों की जमाखोरी से भी यह सिद्धान्त भंग हो जाता है।¹ मेरा व्रत अत्यन्त सक्रिय तथा गतिशील है इसमें कायरता और कमजोरी का कोई स्थान नहीं है। महात्मा गाँधी सामूहिक अहिंसात्मक आन्दोलन को एक ऐसा पवित्र रूप देना चाहते थे, जिसमें ये भावना निहित थी कि “यह संख्या नहीं, बल्कि गुणवत्ता में महत्वपूर्ण है। यह तब और भी अधिक प्रभावकारी सिद्धान्त बनता है, जब वातावरण के चारों तरफ हिंसा का प्राबल्य हो।²

महात्मा गाँधी की इस भावुक मानसिकता का प्रभावी रूप उनके द्वारा चलाए गए विभिन्न सत्याग्रहों में स्थापित है। महात्मा गाँधी यह मानते थे कि सामूहिक सत्याग्रह में प्रभावी और तत्कालिक उष्णता तभी आ सकती है, जब करों का भुगतान रोक दिया जाए, यह भी तब तक कार्यक्रम चालू न किया जाए, जब तक जनसामान्य को (विशेष

रूप से कृषक वर्ग) यह प्रशिक्षित न कर दिया जाए, कि उस भुगतान न करने की मानसिकता के कारण क्या है और इसके बदले में उनकी इतनी मानसिक तैयारी भी कराई जानी चाहिए, कि वह अपनी सही सम्पदा को जब्त किए जाने में विचलित नहीं होगा।³

महात्मा गाँधी ने सामूहिक सत्याग्रह की प्रत्येक गतिविधि को अनुशासन, नैतिकता, सत्य व अहिंसा का बोध कराया। उन्होंने अपने सत्याग्रह के सम्बन्ध में कहा था "नागरिक अवरोधकर्ता एक ऐसी संगठन इकाई है, जो एक सेवा के समान है, जो पूरी तरह से अनुशासन की भावना को जानती है। कठोर और कठिन इसलिए है, कि एक सैनिक के जीवन से अधिक कठिन उसका जीवन होता है। नागरिक प्रतिरोध सेना भवनों से मुक्त है। वह प्रतिकार से भी मुक्त है। यह संख्यात्मक दृष्टि से कम से कम सैनिकों के साथ अपना कार्य सम्पन्न कर सकती है। वास्तव में एक पूर्ण नागरिक प्रतिरोधकर्ता अकेला ही इतनी शक्ति रखता है, कि वह अनुचित के स्थान पर उचित को प्राप्त कर सकता है।"⁴

भारतीय राजनीति में सामूहिक अहिंसक प्रतिरोध की ज्वाला पहली बार बंगाल विभाजन के समय विराटता से प्रस्तुत हुई। सामूहिक अहिंसा के इस प्रतिरोध आयाम में बंगाल के विभाजन की घटना एक तात्कालिक कारण तो है, लेकिन यह असन्तोष तत्कालीन ब्रिटिश राज और नीति के प्रति भी है। महात्मा गाँधी के सभी सामूहिक अहिंसक सत्याग्रहों को यदि एक साथ विश्लेषण किया जाए तो कहीं भी ऐसे अवसर नहीं मिलते, जब महात्मा गाँधी अहिंसा से मुक्त की कामना करते हो या मुक्त होते हों। महात्मा गाँधी की अहिंसा में कायरता के लिए कोई जगह नहीं है। महात्मा गाँधी का मानना था कि अहिंसा एक ऐसा अस्त्र है जिसका उपयोग निडर लोगों द्वारा ही किया जा सकता है।

1919 ई. के रौलेट एक्ट और जलियाँवाला बाग काण्ड के विरोध में 1920 में असहयोग आन्दोलन के रूप में सामूहिक अहिंसात्मक प्रतिरोध शुरू हुआ। महात्मा गाँधी ने जब अपने आन्दोलन को एक कार्यक्रम के साथ प्रस्तुत किया, तब पूरा देश उनके बहिष्कार, स्वदेशी, रचनात्मक कार्यक्रम और आन्दोलनात्मक गतिविधियों में लग गया। विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़े, वकीलों ने अदालतें छोड़ी, सरकारी कर्मचारियों ने सरकारी नौकरियाँ छोड़ी, भारत में जन आक्रोष चारों तरफ फैल गया।⁵

महात्मा गाँधी का यह पहला सिद्धान्त ही उनकी परीक्षा था। इस आन्दोलन की तैयारी के लिए महात्मा गाँधी और काँग्रेस को इतना समय नहीं मिला था, जितना समय

सत्याग्रह के संबंध में महात्मा गाँधी चाहते थे, इस कारण महात्मा गाँधी ने 1922 ई. में चौरी-चौरा की हिंसात्मक घटनाओं से व्यथित होकर इसे स्थगित कर दिया।

1920 के बाद साइमन कमीशन के बहिष्कार का आन्दोलन अधिक व्यापक एवं तैयारी वाला था। महात्मा गाँधी ने अपने सम्बोधन में कहा कि "अन्य देशों के लिए स्वतन्त्रता प्राप्ति के दूसरे उपाय भले ही हों, परन्तु भारतवर्ष के लिए अहिंसात्मक असहयोग के सिवा दूसरा मार्ग नहीं है। परमात्मा करे, आप लोग स्वराज्य के इस मन्त्र को सिद्ध और प्रकट करें और स्वाधीनता की लड़ाई निकट आ रही है, उसके लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने का वह आपको बल व साहस प्रदान करे।⁶

जुलाई, 1932 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने कम्यूनल अवार्ड (साम्प्रदायिक परिनिर्णय) की घोषणा की, जिसके अनुसार दलित जातियों एवं अल्पसंख्यकों के लिए पृथक् निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी।

महात्मा गाँधी ने इसे देश को तोड़ने वाली और हिन्दु समाज को विघटित करने वाली एक घटना के रूप में लिया और इसके इस परिनिर्णय के क्रियान्वयन के विरुद्ध आमरण अनशन की घोषणा करते हुए कहा था, मुझे इस बात में कोई दुख नहीं होगा, कि यदि अस्पृश्य समाज के लोग इस्लाम धर्म अथवा ईसाई धर्म में धर्मान्तरण करते हैं, इसे मैं सहन कर लूंगा, लेकिन इसे मैं सहन नहीं कर पाऊँगा कि इस तरह के दो विभाजन किए जाएँ। जो लोग अस्पृश्य लोगों के प्रथम राजनैतिक अधिकारों की मांग करते हैं, वह भारतीय समाज की रचना को नहीं जानते। इसलिए मैं अपनी पूरी शक्ति भर और अपने जीवन को न्योछावर करने की कामना और शक्ति के साथ पृथक् प्रतिनिधित्व का विरोध करूँगा, चाहे मैं अकेला ही क्यों न रह जाऊँ।⁷

महात्मा गाँधी ने यरवदा जेल से 11 मार्च 1932 को सेम्यूल को एक पत्र में लिखा था कि "सम्भवतः आपको स्मरण होगा, कि जब मैंने राउण्ड टेबल कॉन्फ्रेंस में अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में पेश किए गए दावे के सम्बन्ध में अपने भाषण के अन्त में कहा था कि मैं दलित वर्गों के लिए पृथक् प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करने की स्थिति में पृथक् प्रतिनिधित्व प्रदान किए जाने के विरुद्ध अपने जीवन की परवाह न करते हुए संघर्ष करूँगा।" यह उस समय भावावेश से प्रेरित कथन नहीं था यह एक गम्भीरता को दर्शाते हुए कथन था। उस कथन के संदर्भ में, मैं यह आशा करता था कि मैं इसके विरुद्ध भारत में जनमत को उत्प्रेरित करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं करना पड़ा।⁸

भारत लौट कर महात्मा गाँधी को समाचार पत्रों के माध्यम से जब ब्रिटिश सरकार की इच्छा का पता चला, जब उन्होंने इसी पत्र में कहा था कि अब मुझे अपने

शपथ को पूरा करना ही होगा।⁹ तर्क के द्वारा और औचित्य के द्वारा वह इस पृथक प्रतिनिधित्व के किसी भी स्वरूप को स्वीकार नहीं करते थे।

महात्मा गाँधी 20 सितम्बर, 1932 को आमरण अनशन प्रारम्भ किया। इसी दिन महात्मा गाँधी और सरकार के बीच की सभी पत्रावली प्रकाशित कर दी गई। महात्मा गाँधी ने आत्मत्याग और आत्मबलिदान के संकल्प के साथ इस आन्दोलन को आत्मशुद्धि का उपक्रम बताया। उनके जीवन को बचाने के लिए दलितों के दो वर्गों के प्रतिनिधियों और अन्य प्रतिनिधियों ने मिलकर पूना पैक्ट को व्यावहारिक रूप दिया।

महात्मा गाँधी ने अपना अनशन तभी तोड़ा, जब ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल ने 26 सितम्बर, 1932 की अपनी बैठक में पूना पैक्ट को पूरी तरह से मान लिया। इससे मैकडोनाल्ड को पूर्व घोषणा वाला साम्प्रदायिक परिनिर्णय पूरी तरह से बदल गया। महात्मा गाँधी का यह अहिंसात्मक प्रतिरोध वर्तमान भारतीय समाज की संगठित संरचना के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपहार है। इसके बाद भारतीय राजनीति में दलितों को सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए महात्मा गाँधी सतत प्रयास किए। यह आमरण अनशन मात्र उपवास या आत्मशुद्धि का उद्बोध नहीं कराता, बल्कि महात्मा गाँधी की उस संकल्पना को पूरा करता है जिसमें अहिंसा शक्ति, चेतना, प्रतिबद्ध कार्य पद्धति और भावना है।

महात्मा गाँधी कुछ समय काँग्रेस से अलग रहे, लेकिन ये अलहदगी काँग्रेस और देश दोनों को रास नहीं आई। महात्मा गाँधी, द्वितीय विश्वयुद्ध शुरू हो जाने के बाद अंग्रेज सरकार की भारतीयों के प्रति उपेक्षित दृष्टिकोण से बेहद आहत थे। ब्रिटेन सरकार की भारतीयों के प्रति युद्धकाल में जो नीति बनी, उसको किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता था।

अबुल कलाम आजाद ने अपनी अभिव्यक्ति इन शब्दों में की “ ब्रिटिश सरकार भारत को एक पालित वस्तु के रूप में देखती थी और वह भारत के इस अधिकार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी कि उसको युद्ध जैसे विषय में भी विचार करने का कोई अधिकार है।”¹⁰

जयप्रकाश नारायण ने इसे साम्राज्यवादी युद्ध की संज्ञा देते हुए कहा कि “यह साम्राज्यवादी युद्ध है। हम इसका हर प्रकार विरोध करेंगे। हम स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग करेंगे।”¹¹ काँग्रेस कार्य समिति ने युद्ध के सम्बन्ध में यह स्पष्ट घोषणा कर दी थी कि वह इस युद्ध में किसी तरह का सहयोग तब तक नहीं देगी, जब तक ब्रिटिश सरकार युद्ध के उद्देश्य स्पष्ट न करें।¹²

यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि जवाहर लाल नेहरू ने 20 मई 1940 को आन्दोलन के शुरु किये जाने के संबंध में यह धारणा अभिव्यक्त की थी "युद्ध के समय, जबकि ब्रिटेन अपने जीवन और मरण की लड़ाई लड़ रहा है, उसके विरुद्ध असहयोग आन्दोलन शुरु करना भारत का अपने सम्मान के विरुद्ध कार्य करना होगा।"¹³

महात्मा गाँधी ने भी इसी प्रकार की अभिव्यक्ति करते हुए कहा था "हम अपनी स्वतन्त्रता ब्रिटेन के विनाश पर नहीं चाहते हैं। यह अहिंसा का रास्ता नहीं है।"¹⁴

महात्मा गाँधी ने राष्ट्रीय काँग्रेस के समक्ष व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आन्दोलन का प्रस्ताव रखा। प्रथम सत्याग्रही के रूप में अहिंसा की मूर्ति विनोबा भावे को चुना गया। इस चुनाव में विनोबा के बारे में महात्मा गाँधी ने कहा कि "वह मेरे बाद आते हैं, उनमें अहिंसा की अनुभूतियाँ कूट-कूट कर भरी हैं। मैं इस शब्द का उपयोग इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि विनोद ने अहिंसा की विद्या मुझसे ली है। वह रचनात्मक कार्यक्रम की एक दिशा का मर्मज्ञ है। वह मुझसे अधिक ध्यानस्थ होने की क्षमता रखता है। उसमें युद्ध के प्रति अरुचि और अलगाव, अहिंसा के कारण जन्मा है।"¹⁵

विनोबा के बाद दूसरे सत्याग्रही जवाहर लाल नेहरू थे। इस पूरे आन्दोलन में 1-1 का क्रम ही इतना बढ़ गया कि 600 सत्याग्रही पकड़े गए। महात्मा गाँधी ने 17 दिसम्बर, 1940 को इस आन्दोलन को स्थगित किया। 5 जनवरी, 1941 को यह आन्दोलन फिर शुरु किया गया और इसमें इस महीने के अन्त तक 2250 सत्याग्रहियों को दण्ड दिया गया। यह संख्या बाद में 28 हजार तक पहुंच गई।¹⁶

व्यक्तिगत सत्याग्रह अपने जेल जीवन में किसी प्रकार भी ऐसी क्रियाएँ नहीं करते थे, जो सत्याग्रह और अहिंसा की भावना के विपरीत दिखाई देती। जेल में रहकर वे कताई करते, लेखन और अध्ययन में रत रहते, बीमारों की सेवा करते। व्यक्तिगत सत्याग्रह में अहिंसा के प्रति विशेष आस्था थी।

महात्मा गाँधी ने व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही सत्याग्रहों को जिस रूप में समझा और संचालित किया, उसमें उनकी आत्मिक चेतना का तप निहित है। इसलिए महात्मा गाँधी ने सामूहिक आन्दोलन से पहले उसकी पृष्ठभूमि को उसी तरह से तैयार करने के लिए अनुप्रेरित किया, जिस प्रकार एक किसान अपनी भूमि को पहले जोतता और बोता है, उसमें बीज डालता है और पानी देता है बिना इस प्रक्रिया के जिस तरह किसान एक अच्छे फल की अपेक्षा नहीं कर सकता, उसी प्रकार बिना पूरी तैयारी के सामूहिक असहयोग आन्दोलन भी फलदायी नहीं हो सकता। महात्मा गाँधी की इस

सम्बन्ध में यह धारणा थी कि अनुशासित और समर्पित नेतृत्व वर्ग पूरे समाज को निर्देशित कर सकते हैं उसके बाद पूरा जन समूह स्वयं ही स्थिति को नियन्त्रित करेगा।

स्वातन्त्रोत्तरीय भारतीय राजनीति में सामूहिक अहिंसात्मक प्रतिरोध की परिकल्पना सिविल नाफरमानी के रूप में डॉ. राम मनोहर लोहिया ने बीजारोपित की। बिहार प्रान्त में वह इसे इसलिए अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग में लाना चाहते थे, क्योंकि वहाँ गरीबी सशस्त्र विद्रोह के अंकुर पैदा कर रही थी। उनके अनुसार “बिहार में सिविल नाफरमानी का महत्त्व स्थानीय अथवा राष्ट्रीय से कहीं ज्यादा है। जिस किसी ने सशस्त्र विद्रोह की मुसीबतों को महसूस किया है, वह लाजमी तौर पर सिविल नाफरमानी के तरीके अपनाएगा।”¹⁷

डॉ. लोहिया के सम्पूर्ण क्रान्ति बोध को सिविल नाफरमानी के रूप में अभिव्यक्त होने का जो अवसर मिला था, उसमें सद्भाव के धरातल पर क्रान्ति को बीजारोपित किया था। पूरे देश में अलख जगा कर उन्होंने पहली बार यह अहसास कराया था, कि यदि शासन में बैठे हुए लोगों को सही दिशा का ज्ञान न हो अथवा वह जानबूझ कर शोषण की नीतियों को निर्मित व क्रियान्वित करे, फिर भी सिविल नाफरमानी की चर्चा नहीं होगी, तब देश डूब जाएगा।¹⁸ डॉ. राम मनोहर लोहिया के संकल्प को उनके साथी जयप्रकाश नारायण ने आगे बढ़ाया। स्वातन्त्रोत्तरीय भारतीय राजनीति में जयप्रकाश नारायण की भूमिका विलक्षण रही है। 1954 के बाद वह पूरी तरह से सर्वोदय को समर्पित हो गए थे। उन्होंने एकनिष्ठ सेवा, लगन और अहिंसक आस्था से भूदान आन्दोलन को नए आयाम दिए। उन्होंने नक्सलवादी चुनौती का सामना किया और हिंसक शक्ति के प्रतीक नक्सलवादी स्वयं ही पराभूत हो गए। उनके मन में एक ऐसे भारतीय समाज की रचना का स्वप्न था, जिसमें प्रत्येक नागरिक सुधार लागू करने और शासकों पर निगाह रखने के लिए संगठित और जागरूक है।¹⁹

महात्मा गाँधी, जयप्रकाश नारायण तथा राम मनोहर लोहिया आदि ने आधुनिक भारतीय राजनीति में अहिंसात्मक प्रतिरोध के ऐसे अनूठे उदाहरण पेश किये हैं। उनकी प्रत्येक गतिविधि ने अनुशासन, नैतिकता, सत्य व अहिंसा का बोध कराया।

सन्दर्भ—

1 महात्मा गाँधी, सर्वोदय, 1955 पृष्ठ संख्या 10.

2 यंग इण्डिया, 24 फरवरी 1922.

3 वही, 5 जनवरी 1922.

- 4 यंग इण्डिया, 15 नवम्बर 1921.
- 5 दुर्गादास, इण्डिया फ्राम कर्जन टू नेहरू एण्ड आपटर, पृष्ठ संख्या 77.
- 6 बी. पट्टाभिषीतारमैया, दि हिस्ट्री ऑफ दि इण्डियन नेशनल काँग्रेस, भाग 1, पृष्ठ संख्या 359.
- 7 प्यारेलाल, दि एपिक फर्स्ट, पृष्ठ संख्या 98.
- 8 वही, पृष्ठ संख्या 99.
- 9 प्यारेलाल, दि एपिक फर्स्ट, पृष्ठ संख्या 99.
- 10 अबुल कलाम आजाद, इण्डिया विन्स फ्रीडम, पृष्ठ संख्या 26.
- 11 लक्ष्मी नारायण लाल, जयप्रकाश : रिबेल एकस्ट्रा ऑर्डिनरी, पृष्ठ संख्या 85.
- 12 जी.के. मुखर्जी, हिस्ट्री ऑफ इण्डियन स्ट्रगल, पृष्ठ संख्या 253.
- 13 सुभाष चन्द्र बोस, दि इण्डियन स्ट्रगल, पृष्ठ संख्या 34.
- 14 वही ।
- 15 बी. पट्टाभिषीतारमैया, दि हिस्ट्री ऑफ दि इण्डियन नेशनल काँग्रेस, भाग 2, पृष्ठ संख्या 219.
- 16 आर. सी. मजूमदार, हिस्ट्री ऑफ दि फ्रीडम मूवमेण्ट इन इण्डिया, भाग 3, पृष्ठ संख्या 502.
- 17 राम मनोहर लोहिया, सिविल नाफरमानी की व्यापक्ता, पृष्ठ संख्या 13.
- 18 चौखम्भा, रिपोर्ट, 26 जनवरी 1960, पृष्ठ संख्या 43.
- 19 भक्तराम पाराशर, राधेश्याम शर्मा, लोकनायक: जीवन दर्शन, पृष्ठ संख्या 104.